

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

आदेश पत्रिका

आदेश पत्रिका

(विश्व अंगिलेख हस्ताक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रिका-रंग

रंग

119

जिला- लातेहार

सं- 2022-23

आदेश की तारीख और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश/आवेदन

14.12.22

लातेहार

गोआ

बरावाडीह

72

खाता

नया

88

कोट

445-

रकबा

0.07-1/50

राजस्व सप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। निर्गतिका 24.12.22 को अंगिलेख उपस्थापित करें।

R. P. Singh

अंचल अधिकारी, बरवाडीह।

अंगिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। राजस्व सप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व सप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेचित किया है कि श्री. राजू राम साहिब मिता/पति 1.2.5/5/0 के द्वारा रकबा 0.07-1/50 में रैयती वाद संख्या 1.2.5/5/0 के द्वारा रकबा 0.07-1/50

24.12.22

— इस भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्र.

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०	खाता	प्लॉट
<u>लच्छाडी</u> 22	3	539 -

एकड़
0.00

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०	खाता	प्लॉट
<u>लच्छाडी</u> 22	88	445 -

एकड़

0.00

उक्त भूमि का जमाबंदी पुनः पुनः पिता गिरवानन्द सोकिन
..... के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं
आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में रैयती वाद
सं० 185 / 2001-02 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के
नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2012-13 तक
लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए
नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं रैयती वाद
संख्या 185 / 2001-02 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान
वर्ष 2012-13 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद
निर्गत करने हेतु चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की आज्ञा दी
जाती है। उक्त आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित
होगी।

तदनुसार आदेश का उद्वरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन
प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,

29.5.20

29.5.20